

24.09.2024

पत्रावली आज पेश हुई। प्राची अधिवक्ता
 श्री रामेन्द्र ठुरी उपस्थित। पेशकार सरकार उपस्थित।
 दोनों पक्षों की बयान सुनी गई। प्राची अपीलकर्त्री
 द्वारा प्रार्थना पत्र में अतिरिक्त तथ्यों की हार्दिक
 बयानें इस प्राची अपीलकर्त्री के प्रार्थना पत्र
 अन्तर्गत धारा 5 भारतीय म्याद अधिनियम
 को स्वीकार किया जाकर अपीलकर्त्री द्वारा
 उपखण्ड मजिस्ट्रेट अखण्ड के आदेश क्रमांक
 न्याय/कारिस/2014/615 दिनांक 24.09.2014
 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने में हुई गलतबाही
 अधिाधिक को उन्नीत किया जाग है। विषय से
 उजलास सुनाया गया। पत्रावली फौजदारी
 होकर नम्बर से कम ही रूप में पत्रावली के
 साथ नली है।

(अल्पा-धींधरी)
 जिला मजिस्ट्रेट, तिरुनेलवेली



पत्रावली प्रस्तुत करके 24.09.2024 को पेश करने के लिए जमा किया गया।